

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री बृज सुन्दर, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि राजगढ़ (चूरु) का स्थानान्तरण राउमावि तारातरा (चौहटन) बाड़मेर किया गया। श्री बृज सुन्दर ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 15588/2019 श्री बृज सुन्दर शर्मा बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15588/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री बृज सुन्दर शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार याचिकार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री बृज सुन्दर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी बीमार रहने एवं माताजी पिताजी के देखभाल करने तथा पदस्थापन स्थान घर से 650 किमी दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि टमकोर (झुन्झुनू) 2. राउमावि चिडावा (झुन्झुनू) 3. राउमावि नूनिया गाठडा (झुन्झुनू) 4. राउमावि खेतड़ी (झुन्झुनू) 5. राउमावि नापासर (बीकानेर) की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी नवीन स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 25.10.19 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

समी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 06/07/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-3/भौगकृ/अभ्यावेदन/बृज सुन्दर/को.के/18-19

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
  2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
  3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
  4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
  5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
  6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
  7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
  8. संबंधित प्राधानाचार्य
  9. संबंधित कार्मिक
  10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर